प्रकाशन संख्या 519

सत्यमेव जयते

# बिहार विधान-सभा

## लोक लेखा समिति

## का

## प्रतिवेदन संख्या 509

भवन निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 (सि0) की कंडिका आपत्ति 4.2 एवं 2007–08 (सि0) की कंडिका आपत्ति 4.5.1 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक ———————— को सदन में उपस्थापित ।

# विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| 1. लोक लेखा समिति वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा) .. .. .. | क |
| 2. लोक लेखा समिति वर्ष 2007–08 (चतुर्दश बिहार विधान–सभा) .. .. .. | ख |
| 3. लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) वर्ष 2012–13 .. .. .. | ग |
| 4. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारीगण,प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण। .. .. .. | घ |
| 5. प्राक्कथन .. .. .. | च |
| 6. प्रतिवेदन .. .. .. | 1–7 |
| 7. परिशिष्ट .. .. .. | 8–14 |


1 एल0ए0

## बिहार विधान–सभा सचिवालय

### लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

**सभापति**

| | |
|---|---|
| 1. श्री ललित कुमार यादव | स०वि०स० |

**सदस्यगण**

| | |
|---|---|
| 1. डॉ० अच्युतानन्द | स०वि०स० |
| 2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव | स०वि०स० |
| 3. श्री अशोक कुमार | स०वि०स० |
| 4. श्री मंजीत कुमार सिंह | स०वि०स० |
| 5. श्री अभिराम शर्मा | स०वि०स० |
| 6. श्री अरूण शंकर प्रसाद | स०वि०स० |
| 7. श्री विनोद नारायण झा | स०वि०स० |
| 8. श्रीमती उषा सिन्हा | स०वि०स० |
| 9. श्री कृष्णनन्दन यादव | स०वि०स० |
| 10. श्री जावेद इकबाल अंसारी | स०वि०स० |
| 11. श्री राणा गंगेश्वर सिंह | स०वि०स० |
| 12. श्री नीरज कुमार | स०वि०प० |
| 13. श्री (मो०) हारूण रशीद | स०वि०प० |
| 14. श्री मंगल पाण्डेय | स०वि०प० |

"ख"

## बिहार विधान–सभा सचिवालय

## लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2007–08 (चतुर्दश बिहार विधान–सभा)

**सभापति**

| | |
|---|---|
| 1. श्री अब्दुलबारी सिद्धिकी | स0वि0स0 |
| **सदस्यगण** | |
| 2. श्री हरिनारायण सिंह | स0वि0स0 |
| 3. श्री दामोदर रावत | स0वि0स0 |
| 4. श्री पन्नालाल सिंह पटेल | स0वि0स0 |
| 5. श्रीमती रेणु कुमारी (क्षेत्र सं0 122) | स0वि0स0 |
| 6. श्री रामेश्वर प्रसाद | स0वि0स0 |
| 7. श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव | स0वि0स0 |
| 8. श्री शोभाकांत मंडल | स0वि0स0 |
| 9. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा | स0वि0स0 |
| 10. श्री रामदेव राय | स0वि0स0 |
| 11. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह | स0वि0स0 |
| 12. श्री (डॉ0) शंभुशरण श्रीवास्तव | स0वि0प0 |
| 13. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता | स0वि0प0 |
| 14. श्री रामचन्द्र प्रसाद | स0वि0प0 |
| 15. श्री संजय सिंह | स0वि0प0 |

"ग"

## बिहार विधान–सभा सचिवालय

### लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन वर्ष 2012–13

**सभापति**

1. श्री ललित कुमार यादव — स0वि0स0

**संयोजक**

2. श्री मंजीत कुमार सिंह — स0वि0स0

**सदस्यगण**

3. श्री कृष्ण नन्दन यादव — स0वि0स0
4. श्री नीरज कुमार — स0वि0प0

"घ"

## बिहार विधान–सभा सचिवालय

| | |
|---|---|
| श्री फूल झा | प्रभारी सचिव |
| श्री चन्द्रभूषण पाठक | उप–सचिव |
| श्री रूप नारायण मिश्र | अवर–सचिव |
| श्री भूदेव राय | अवर–सचिव |
| श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह | प्रशाखा पदाधिकारी |
| श्री गणेश कुमार | प्रशाखा पदाधिकारी |
| श्रीमती अनुपमा प्रसाद | प्रशाखा पदाधिकारी |
| श्री उमाशंकर यादव | वरीय लिपिक |
| श्री राजीव रंजन 3 | कनीय लिपिक |
| श्रीमती संगीता कुमारी सिंह | कनीय लिपिक |
| श्री अरविन्द कुमार दास | कनीय लिपिक |
| श्री रंजय कुमार | कनीय लिपिक |

## प्रधान महालेखाकार कार्यालय

| | |
|---|---|
| श्री परवेज आलम | उप–महालेखाकार |
| श्री अतुल प्रकाश | उप–महालेखाकार |
| श्री अनिल कुमार वर्मा | वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी |
| श्री अरविन्द कुमार | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी |

## वित्त विभाग

| | |
|---|---|
| श्री रामेश्वर सिंह | प्रधान सचिव |
| श्री अशोक प्रियदर्शी | उप–सचिव |

## प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भवन निर्माण विभाग से संबंधित भारत के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 (सि.), की कंडिका आपत्ति 4.2 एवं वर्ष 2007–08 (सि.) 4.5.1 की कंडिका आपत्ति पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0 509 प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी, 2013 को लोक लेखा समिति को (मुख्य) समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। लोक लेखा समिति (चतुर्दश विधान–सभा) की विभाग के साथ कुल (2) दो बैठकें हुई एवं पंचदश विधान–सभा के लोक लेखा समिति की विभाग के साथ (4) बैठकें हुई।

चतुर्दश विधान–सभा की लोक लेखा समिति के निर्णयों का अनुमोदन वर्तमान की लोक लेखा समिति (पंचदश विधान–सभा) दवारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग किया है, मै उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हे सदृश्य धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2013 (ई0)।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

# प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 (सि0) पृष्ठ सं0–121–122 द्रष्टव्य।

## 4.2 ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय

कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमंडल, कटिहार के द्वारा 15 अक्टूबर, 1984 को एक हेली पैड एवं चबुतरा तथा सुरक्षा घेरों को खड़ा करने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई (अनुमानित लागत रु0 5.42 लाख)। न्यूनतम निविदाकर्ता ने इस कार्य को रु0 7.86 लाख (प्राक्कलन से 45 प्रतिशत अधिक) की लागत पर करने के प्रस्ताव किया।

प्रदत्त शक्ति के शर्त्तों के अनुरूप, प्राक्कलित लागत से 10 प्रतिशत अधिक लागत वाले कार्यों का आवंटन मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाना था जबकि कार्यपालक अभियन्ता ने कार्य प्रारंभ करने का मौखिक निर्देश जारी कर दिया। भुगतेय रशि के संदर्भ में उसके साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया गया था। कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया।

17 अक्टूबर, 1984 को की गई मापी के आधार पर संवेदक ने अपने प्रस्ताव के आधार पर रु0 7.86 लाख का दावा प्रस्तुत किया। कार्यपालक अभियंता द्वारा इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि संवेदक को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मौखिक रूप से सूचित कर दिया था कि अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत अधिक भुगतान किया जाएगा। संवेदक ने इसे अमान्य कर दिया एवं अगस्त, 1985 में रुपये 7.86 लाख की वसूली के लिए सबजज कटिहार की अदालत में एक मनीसूट दायर किया। मई 1988 में विभाग के विचारों को स्वीकार करते हुए अदालत ने प्राक्कलन से 10 प्रतिशत अधिक रुपये 5.96 लाख के साथ–साथ अगस्त 1985 से फैसला में उल्लिखित राशि के भुगतान की तिथि तक का 6 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा खर्च के रूप में रु0 0.24 लाख के भुगतान का आदेश दिया।

2 वर्षों के विलंब के बाद जनवरी 1990 में फैसले में उचित राशि (रु0 5.96 लाख) के साथ–साथ ब्याज (रु0 1.58 लाख) एवं खर्च (रु0 0.24 लाख) का भुगतान किया गया।

कार्य से संबंधित भुगतान के संदर्भ में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही अगर संवेदक के साथ औपाचारिक करार कर लिया गया होता तो इस मुकदमेवाजी से बचा जा सकता था। ऐसा करने में विफलता एवं फैसले में उल्लिखित राशि के भुगतान में किए गए विलंब के कारण ब्याज एवं मुकदमें के खर्च के रूप रु0 1.82 लाख का परिहार्य भुगतान सृजन हुआ।

अगस्त 1991 में सरकार को मामले से अवगत कर दिया गया था, उनका उत्तर (जुलाई 1993) अप्राप्त था।

## विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय पत्रांक-984 दिनांक 25.02.99 द्वारा इस सिविल कंडिका का उत्तर उप सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति कोषांग) पटना को उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत है:-

उपर्युक्त विषयक एवं गठित विभागीय लोक लेखा समिति के निर्णयानुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 90-91 (सिविल) की कंडिका 4.2 से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगता कराना चाहता हूँ जो निम्नवत निचे इस प्रकार है:-

जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक 2315 दिनांक 10.10.84 द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के कटिहार में दिनांक 17.10.84 को आगमन के अवसर पर रोष्ट्रम हैलिपैड एवं घेराबंदी कार्य करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियां को प्राप्त हुआ तदनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा निम्न कार्यों हेतु आपातकालीन निविदा आमंत्रित की गयी:-

1. रोष्ट्रम:- 19,045/-रु0
2. हैलिपैड:- 53,635/-रु0
3. घेराबंदी:- 4,25,884/-रु0

निविदा दिनांक 16.10.84 को प्राप्त जिसमें दो निविदाकार मेसर्स सुदामा मल एवं मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा निविदाएँ दी गयी। सभी तीनों कार्यों में परिमाण विपत्र में अंकित दर से 45% अधिक दर पर मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा उद्दत किया गया और मेसर्स सुदामा मल द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 50% अधिक पर उद्दत किया गया। चूकि कार्य कराना अतिआवश्यक था इसलिए कार्य0अभि0 द्वारा न्यूनतम कार्य प्रारंभ करा दिया गया तथा कार्य भी ससमय पूर कर लिया गया।

कार्य0अभि0 को कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व संवेदक को स्पष्ट रूप से लिखित कार्यादेश निर्गत करना चाहिए था जिसमें यह अंकित रहना चाहिए था कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो दर स्वीकृत किया जायेगा उस दर पर यदि वे कार्य कराना चाहे तो कर सकतें हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

तुलनात्मक विवरणी कार्य0अभि0 द्वारा स्वीकृति हेतु अधी0 अभि0 को माह दिसम्बर,85 में भेजा गया। कार्य0अभि0 ने प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा निष्पादन में जानबूझकर अभिरूचि नहीं ली गयी जबकि विभाग द्वारा दर वार्त्ता हेतु प्रयास किया गया। इस बीच संवेदक द्वारा अवर न्यायधीश, कटिहार के न्यायालय में मनीसूट मुकदमा दायर किया गया, जिसके आलोक में प्रतिवेदित है कि सरकारी वकील से परामर्श एवं तथ्य विवरणी तैयार करने की आवश्यक कार्रवाई विभाग से की जा रही थी परंतु अवर न्यायधीश कटिहार द्वारा संवेदक के पक्ष में एकतरफा निर्णय लेते हुए मुकदमें का फैसला किया गया जिसके अनुसार संवेदक को 5,95,449/-रु की डिक्री रकम भुगतान करना पड़ा एवं मुकदमा दायर करने की तिथि तक 6% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज का भूगतान का प्रावधान किया गया, साथ हीं 23,813.25/-रु0 मुकदमा खर्च एवं वकील का फीस आदि भी फैसले के अनुसार भुगतान करने का आदेश था।पुनः संशोधनोपरांत अवर न्यायधीश कटिहार द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत करने की तिथि से तीन माह के अंदर डिक्री की राशि 5,95,449/-रु0 जिसमें परिमाण विपत्र की राशि से 10% अधिक देय राशि सम्मिलित किया गया का भुगतान करने का आदेश दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा की गयी फेसले की विभाग द्वारा सरकारी अधिवक्ता कटिहार से भी परामर्श प्राप्त किया गया एवं इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अपील दायर की गयी। माननीय स्टैंडिंग कौंसिल संख्या-6 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को परामर्श दिया गया कि अवर न्यायाधीश कटिहार द्वारा दिये गये डिक्री में डिक्रीटल रकम तीन माह के अंदर कर दिया जाय। तदनुसार विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग, पटना द्वारा संवेदक को 7,79,016.59/-रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं आवंटन प्राप्त कराया गया। विधि विभाग द्वारा दायर किये गये अपील की अंतिम स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कार्यदेश नियमानुकूल निर्गत किया गया रहता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसके लिए संबंधित अभियंता श्री भगवान प्रसाद पोद्दार उत्तरदायी है।

विभागीय उत्तर में उल्लेखित पत्रांक 984, दिनांक 25 फरवरी, 1999 परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य।

## समिति की अनुशंसा

दिनांक 6 अगस्त, 2007 की बैठक में समिति द्वारा इस कंडिका आपत्ति को इस निदेश के साथ कि "तीन माह के अन्दर विभाग उत्तरदायी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करे।" निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सि0) पृ0सं0 119-120 द्रष्टव्य।

### *4.5.1 विभागीय कार्यों के लिए अनियमित भुगतान*

***विभागीय कार्यों के लिए 3.64 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान***

मंत्रीमंडल सतर्कता विभाग के निदेश (1994) के साथ पठित बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 226 के अनुसार विभागीय कार्य के लिए सामग्रियों की आपूर्ति निविदा/कोटेशन आमंत्रित करके एवं मजदूरों को भुगतान मस्टर रॉल के द्वारा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2003-07 के दौरान भवन प्रमंडल, बेतिया, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, गया एवं सिंचाई (यांत्रिक) प्रमण्डल, बीरपुर के अन्तर्गत कार्यान्वित विभागीय कार्यों के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि 9,737 हस्त पावतियों के द्वारा 3.25 करोड़ रुपये मजदूरों को भुगतान किया गया और मजदूरी के साथ सामग्रियों के क्रय के विरुद्ध 1,599 अभिश्रवो के द्वारा 38.41 लाख रुपये अनेक अभिकरणों को दिया जिसका विवरण निम्न है:

*(रुपये लाख में)*

| प्रमण्डल | प्रयोजन | वर्ष | ह. पा./अभिश्रवों की संख्या | कुल भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| भवन प्रमण्डल, बेतिया | मजदूरी | 2006-07 | 4,271 | 185.36 |
| राज्य उच्च पथ प्रमण्डल, गया | -वही- | 2006-07 | 4,882 | 130.94 |
| सिंचाई (यांत्रिक) प्रमण्डल, बीरपुर | -वही- | 2003-06 | 584 | 8.85 |
| कुल | | | **9,737** | **325.15** |
| राज्य उच्च पथ प्रमण्डल, गया | सामग्रियों का क्रय | 2006-07 | 201 | 5.40 |
| सिंचाई (यांत्रिक) प्रमण्डल, बीरपुर | मजदूरी के साथ सामग्रियों का क्रय | 2003-06 | 1,398 | 33.01 |
| कुल | | | **1,599** | **38.41** |
| कुल योग | | | **11,336** | **363.56** |

- मजदूरों को भुगतान, मस्टर रॉल पर किये गये कार्य की प्रकृति एव अवधि, प्राक्कलन के स्वीकृति आदेश और लगाये गये मजदूरों की संख्या के विवरण देते हुए करना चाहिए। उपर्युक्त जानकारी के अभाव में किये गये कार्य की वैद्यता और इसके विरुद्ध किये गये भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है;
- वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य उच्च पथ प्रमंडल, गया के अन्तर्गत किये गये विभागीय कार्य के सबंध में माप पुस्त में दर्ज कार्य के अवधि कालक्रमानुसार नहीं था;
- सिंचाई (यांत्रिक) प्रमण्डल, बीरपुर में मजदूरी के लिए 8.85 लाख रुपये का भुगतान सादा कागज पर कर दिया गया
- निविदा/कोटेशन को आमंत्रित किये बिना सामग्रियों का आपूर्ति किया गया;
- वाउचरों में संख्या मुद्रित नहीं थे और बार-बार एक ही अभिकरण से क्रय किया गया।

अतः, वर्ष 2003-07 के दौरान विभागीय कार्य पर 3.64 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ।

संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (फरवरी 2007 से मार्च 2008) कि विभागीय कार्य के लिए भुगतान कार्य के हित में किया गया। जबाव मान्य नहीं था क्योंकि विभागीय कार्य के विरूद्ध भुगतान वि लो नि सं एवं मार्च 1994 के विभागीय निदेश में दिये गये प्रावधान का उल्लघंन कर मस्टर रॉल के स्थान पर हस्त पावतियों द्वारा किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2008) ; जवाब अप्राप्त था (दिसम्बर 2008)।

| विभागीय स्पष्टीकरण | अभियुक्ति |
|---|---|
| प्रस्तुत कंडिका के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्य का प्राक्कलन सामग्री एवं मजदूरी के साथ अनुमोदित किया गया। कार्य हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ठीक पहले आवंटन प्राप्त हुआ फलस्वरूप निविदा की औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्य करा पाना संभव नही था। आपात स्थिति एवं कार्यहित में विभागीय स्तर से कराया गया। रूपये 1.85 करोड़ में कार्य में प्रयुक्त सामग्री सहित मजदूरी का भुगतान सम्मिलित है। विभागीय रूप से कार्य कराने से लगभग 18 लाख रूपये राजस्व की बचत हुई। भुगतान से संबंधित हस्तपावती तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित है। नियमानुकूल सेलटेक्स एवं रोयल्टी की कटौती भी की गई है। | दिनांक-30.10.12 को समीक्षोपरांत समिति द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गए थे।<br>समिति के उक्त निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-9976 (भ) दिनांक-7.12.12 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा कराये गये कार्यों के जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार) को अधिकृत किया गया था। (प्रति संलग्न)<br>उक्त विभागीय पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता, उत्तर द्वारा अपना पत्रांक 2124 दिनांक-24.12.12 को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। (प्रति संलग्न) मुख्य अभियंता ने कराये गए कार्यों की विस्तृत चर्चा करते हुए निष्कर्षतः इस बात का उल्लेख किया है कि फिनिशिंग कार्य मद के आधार पर हस्त रशीद पर भुगतान की गलत नहीं कहा जा सकता है। (जाँच प्रतिवेदन संलग्न) |

विभाग द्वारा दिए गए अभियुक्ति में उल्लेखित पत्रांक एवं दिनांक परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य।

## समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 जनवरी, 2013 की बैठक में समिति द्वारा इस कंडिका आपत्ति को इस निदेश के साथ कि "विभाग से भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें" निष्पादित किया गया।

स्थान :- पटना
दिनांक 22 फरवरी, 2013 ई0।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा,
पटना।

# परिशिष्ट

परिशिष्ट 'क'

पत्रांक:-भवन/लेखा-लो0ले0-01-19/95- 984
बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग ।

प्रेषक,
ए0के0 सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय
(लोक लेखा समिति प्रशाखा) पटना ।

पटना, दिनांक- 25-2-95

विषय:- नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 90-91 का (सिविल) की कंडिका सं0 4.2 के (कटिहार में वर्ष 1984 में हैलिपैड निर्माण पर परिहार्य व्यय के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं गठित विभागीय लोक लेखा समिति के निर्णयानुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 90-91 (सिविल) की कंडिका 4.2 से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ । जो निम्नवत नीचे इस प्रकार है :-

जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक-2315 दिनांक-10-10-84 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री के कटिहार में दि0- 2-10-84 को आगमन के अवसर पर रोष्ट्रम हैलिपैड एवं घेराबंदी कार्य करने का निदेश का0अभि0,भवन प्रमंडल,पूर्णियां को प्राप्त हुआ तद्नुसार कार्य0अभि0 द्वारा निम्न कार्यों हेतु अल्पकालीन आपातकालीन निविदा आमंत्रित की गयी :-

(1) रोष्ट्रम - 19,045/-रू0
(2) हैलिपैड - 53,535/-रू0
(3) घेराबन्दी- 4,85,884/-रू0

निविदा दिनांक-16-10-84 को प्राप्त हुई जिसमें दो निविदाकार मेसर्स सुदामा मल एवं मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा निविदाएँ दी गयी। सभी तीनों कार्यों में परिमाण विपत्र में अंकित दर से 45%.प्रतिशत अधिक दर पर मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा दर उद्धत किया गया और मेसर्स सुदामा मल द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 50 प्रतिशत अधिक पर उद्धत किया गया। चूँकि कार्य कराना अतिआवश्यक था इसलिए कार्य0अभि0 द्वारा न्यूनतम निविदाकार मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन से दर वार्ता एवं निविदा के अनुमोदन के प्रत्याशा में कार्य प्रारंभ करा दिया गया तथा कार्य भी ससमय पूरा कर लिया गया ।

कार्य0अभि0 को कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व संवेदक को स्पष्ट रूप से लिखित कार्यादेश निर्गत करना चाहिए था जिसमें यह अंकित रहना चाहिए था कि सक्षम पदाधिकारी

तुलनात्मक विवरणी कार्य0अभि0 द्वारा स्वीकृति हेतु अधी0अभि0 को माह दिसम्बर 85 में भेजा गया । कार्य0अभि0 ने प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स बिहार कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा निष्पादन में जानबूझकर अभिरूचि नहीं ली गयी जबकि विभाग द्वारा दर वार्ता हेतु प्रयास किया गया। इस बीच संवेदक द्वारा अवर न्यायधीश,कटिहार के न्यायालय में मनीसूट मुकदमा दायर किया गया,जिसके आलोक में प्रतिदित है कि सरकारी वकील से परामर्श एवं तथ्य विवरणी तैयार करने की आवश्यक कार्रवाई विभाग से की जा रही थी परन्तु अवर न्यायधीश कटिहार द्वारा संवेदक के पक्ष में एकतरफा निर्णय लेते हुए मुकदमें का फैसला किया गया जिसके अनुसार संवेदक को 5,95,449/-रू0 की डिक्री रकम भुगतान करना एवं मुकदमा दायर करने की तिथि तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त व्याज का भुगतान का प्रावधान किया गया,साथ ही 23,813=25रू0 मुकदमा खर्च एवं वकील का फीस आदि भी फैसले के अनुसार भुगतान करने का आदेश था । पुनः संशोधनोपरांत अवर न्यायधीश कटिहार द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत करने की तिथि से तीन माह के अंदर डिक्री की राशि 5,95,449/-रू0जिसमें परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत अधिक देय राशि सम्मिलित किया गया का भुगतान करने का आदेश दिया गया ।माननीय न्यायालय द्वारा की गई फैसले की विभाग द्वारा सरकारी अधिवक्ता कटिहार से भी परामर्श प्राप्त किया गया एवं इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना के समक्ष अपील दायर की गयी ।माननीय स्टैंडिंग कौंसिल सं0-6 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को परामर्श दिया गया कि अवर न्यायधीश कटिहार द्वारा दिये गये डिक्री में डिक्रीटल रकम तीन माह के अंदर कर दिया जाए । तदनुसार विधि परामर्शी,विधि(न्याय) विभाग,पटना द्वारा संवेद को 7,79,016=59 रू0की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं इस तदनुसार विभाग द्वारा भवन प्रमंडल,कटिहार को 7,79,017/-रू0 का आवंटन प्राप्त कराया गया । विधि विभाग द्वारा दायर किये गये अपील की अंतिम स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कार्यादेश नियमानुकूल निर्गत किया गया रहता तो ऐसी स्थिति नहीं आती । इसके लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता श्री भगवान प्रसाद पोद्दार उत्तरदायी है ।

परिशिष्ट ख

बिहार सरकार    प्रारूप-III

भवन निर्माण विभाग

सं० सं०:- 34 - लोक लेखा समिति 03/06-07

पत्रांक/ज्ञापांक 9976 भ० दिनांक 7.12.12

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
उत्तर बिहार अंचल
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

विषय:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की कंडिका 4.5.1 पर लोक लेखा समिति द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की लेखा कंडिका -4.5.1 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि — यथा प्रतिवेदित किया जाये कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल [illegible] द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गए थे। इस संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ताकि समिति की निर्धारित अगली बैठक में, समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि समिति की अगली बैठक दिनांक 27.12.2012 को निर्धारित है।

अनु:- यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भवन/34-लोक लेखा समिति-03/06-07 ११५७६(अ) प्रपत्र-III

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
उत्तर बिहार उपभाग,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ५.12.12

विषय- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की कंडिका 4.5.1 पर लोक लेखा समिति द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की लंबित कंडिका-4.5.1 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रतिवेदित किया जायें कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गए थे। इस संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ताकि समिति की निर्धारित अगली बैठक में समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि समिति की अगली बैठक दिनांक-27.12.2012 को निर्धारित है।

अनु०-यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,

6/12/12

(सुशील कुमार)

सरकार के उप सचिव।

# मुख्य अभियंता(उत्तर) का कार्यालय
## भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या –भ0उ0वि0 / यो0 (लोक लेख्या)–31 / 2010

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता, (उत्तर उपभाग)।
निर्माण भवन,पटना।

सेवा में,

सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24/12/12

विषयः– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2007–08 की आपत्ति कंडिका 4.5.1 के संबंध में समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः– सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 2925 (भ) दिनांक 12.04.2012

महाशय,

उपरोक्त विषय में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभागीय रूप से सम्पन्न कराये गये विभिन्न योजनाओं की कुल संख्या–59 थी। जिसमें मूल प्रकृति की योजनाओं की संख्या–10 एवं विशेष मरम्मति की योजनाओं की संख्या–29 एवं साधारण मरम्मति की योजनाओं की संख्या–20 थी।सभी योजनाओं में 10% संवेदक लाभांश घटाने के पश्चात कुल स्वीकृत 59 योजनाओं की प्राक्कलित राशि रू0–1,85,26,641.00 थी। इस प्रकार विभागीय रूप से कार्य कराने से लगभग रू0–18.00 लाख की बचत हुई। इसमें सामग्री एवं मजदूरों के भुगतान का अनुपात लगभग 70% एवं 30% होता है। अर्थात रू0–55,58,000.00 मात्र मजदूरी पर भुगतान है एवं सामग्रियों पर व्यय रू0–1,29,68,641.00 मात्र है। समीक्षोपरान्त यह आरोप सही पाया गया कि मजदूरों को भुगतान की राशि मास्टर रौल पर नहीं करके हस्तरिसीट पर किया गया था। यह कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया प्रकियात्मक त्रुटि है। साथ ही विदित हो कि लेखा पदाधिकारी भुगतान प्रकिया में त्रुटि न हो इसके लिए महालेखाकार कार्यालय के तरफ से प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। एवं प्रमंडल को सही ढ़ग से चलाने के लिए पदाधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

इस सम्बंध में उल्लेखनीय एवं विचारणीय है कि विभागीय कार्य के दौरान स्थायी अग्रिम की व्यवस्था नहीं है।कोई भी भुगतान कराये गये कार्य के विरूद्ध ही किया जाता है। उक्त स्थिति में मस्टर रौल पर श्रम का भुगतान सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण फिनिश कार्य मद,के आधार पर हस्त रशीद पर भुगतान को गलत नहीं कहा जा सकता है।

तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता का नाम श्री श्याम बदन सिंह है। जो भवन प्रमंडल, मुजफफरपूर में पदस्थापित थे एवं भवन प्रमंडल, वेतिया का कार्य सम्पादित करने के लिऐ सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या–05 ज्ञापांक 59(भ) दिनांक 02.01.2004 द्वारा अगले आदेश तक प्रधिकृत थे। तत्कालिन कार्यपालक अभियंता श्री श्याम बदन सिंह सरकारी सेवा से दिनांक 31 जुलाई 2007 को सेवा निवृत हो चुके है। तत्कालिन लेखा पदाधिकार का नाम श्री राजीव रंजन है।

यह जॉच प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंत (उत्तर)

ज्ञापांक– 2124 पटना, दिनांक 24/12/12

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव/उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/12

मुख्य अभियंता (उत्तर) उपभाग,

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता,भवन प्रमंडल बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता (उत्तर) उपभाग

संख्या लो०ले०स०–92 (खण्ड–II) / 2012–13 / 11
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 13 मार्च, 2013

सेवा में,

**उप सचिव**
**बिहार विधान सभा,**
**पटना।**

विषय :– **लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 509, 511, 512 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।**

प्रसंग :- आपका पत्र सं.– (1) 2लो.ले.स.–33/13–226/वि.स., एवं
(2) 2लो.ले.स.– 34/13–227/वि.स.,
दिनांक 01.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्तियाँ) की भवन निर्माण विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं. 509, 511 एवं 512 में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः– प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

13/03/13

**वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी**
**बिहार, पटना**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
2013